न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

शुभम चौधरी **(I.A.S.)**
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2026	2026/01	23.03.2026	23.04.2026

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज0)

—: प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री गजराजसिंह पिता विजयसिंह रावत निवासी रावत मोहल्ला कल्याणपुरा थाना अलवर गेट अजमेर जिला अजमेर (राज0)

—: अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 **BNSS** के तहत् बाबत् वाहन सिपुदर्गी वाहन संख्या **RJ 01 GD 6800** जब्त अन्तर्गत धारा 3/7 एवं धारा 6 (A) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्राथमिकी संख्या 0150/2025 अन्तर्गत पुलिस थाना धमोत्तर जिला प्रतापगढ़ के संबंध में।

उपस्थिति :—

1. श्री मनीष शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी/विपक्षी)
2. श्री रामचन्द्र शेरावत जिला रसद अधिकारी (पेरोकार सरकार)

—: आदेश :— दिनांक 23.04.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 **BNSS** के तहत् पुलिस थाना धमोत्तर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 0150/2025 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्त वाहन वाहन संख्या **RJ 01 GD 6800** सिपुदर्गी हेतु निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया।

1. यह कि प्रार्थी महेन्द्र पिता हनुमान सिंह जाति रावत उम्र 29 वर्ष निवासी कोटाज तहसील पिसागंद जिला अजमेर राज जरिये मुख्तयार आम शिवराज पिता मांगू सिंह रावत उम्र 44 वर्ष निवासी कोटाज तहसील पिसागंद जिला अजमेर राज का होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 503 बीएनएसएस निम्न प्रकार पेश किया है।
2. यह कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक पिकअप बेलोरो जिसके रेजिस्टेशन नं. मॉडल/वर्ष 07/2025 को पुलिस थाना धमोत्तर ने उक्त पिकअप को जब्त कर अपनी तहवील में ले रखी है।
3. यह कि प्रार्थी कि ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो धारा 6(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र सिपुदगी पेश किया जा रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

4. यह कि प्रार्थी अपने उक्त पिकअप को छुडाना चाहता है। थाने में रखरखाव के अभाव में प्रार्थी का उक्त पिकअप वाहन खराब हो रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को उक्त पिकअप की हर समय आवश्यक्ता रहती है।
6. यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार सिपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है।
7. यह कि अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त पिकअप सिपुर्दगीनामें पर छोड़े जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थी/पेरोकार सरकार को सूचित किया गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जब्तशुदा वाहन के संबंध में पुलिस थाना धमोत्तर अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 0150/2025 तथा न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 148/2025 अन्तर्गत धारा 6(A) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् संचालित कार्यवाही में आगामी आवश्यक्ता है अथवा नहीं की संपुष्टि हेतु न्यायालय के पत्र क्रमांक :– सरिश्ता/विविध/2026/41–43 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं प्रभारी थाना अधिकारी पुलिस थाना धमोत्तर को तहरीर पत्र जारी किया गया। उक्त तहरीर पत्र के आधार पर पुलिस थाना अधिकारी धमोत्तर जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 750 दिनांक 27.03.2026 एवं जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक :– रसद/स्थापना/2026/38 दिनांक 09.04.2026 को शामील पत्रावली करते हुए पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

पत्रावली दिनांक 17.04.2026 को वास्ते बहस अन्तिम पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित दौराने बहस प्रकरण के प्रार्थी/विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 BNSS के तहत् में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् संचालित कार्यवाही अन्तर्गत जब्तशुदा वाहन के पुलिस थाना धमोत्तर में उचित रखरखाव के अभाव तथा उक्त वाहन की प्रार्थी को हर समय आवश्यक्ता होने से प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नियम मुचलका राशि पर सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने को तैयार है। इस संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय क्रमशः माननीय सर्वोच्य न्यायालय नई दिल्ली से निर्णित आपराधिक अपील संख्या 2005/2022 एवं समेकित **SLP** संख्या 7280/2022 बउनवान सैनाबा बनाम केरला राज्य निर्णय दिनांक 18.11.2022 तथा माननीय सर्वोच्य न्यायालय नई दिल्ली से निर्णित याचिका संख्या 32673/2024 बउनवान विठ्ल जाटव बनाम तेलगांना राज्य निर्णय दिनांक 03.12.2024 का हवाला देते हुए प्रार्थना का प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन की सिपुदर्गी हेतु आदेश फरमाने की मांग की गई।

इसी प्रक्रम में प्रार्थी/पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए जब्तशुदा वाहन के पुलिस कार्यवाही में आवश्यक्ता नहीं होने पर छोड़ा जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

इसी प्रकार थाना अधिकारी धमोत्तर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन क्रमांक :– 750 दिनांक 27.03.2026 के अनुसार पुलिस थाना धमोत्तर में दर्ज प्रकरण संख्या 150/2025 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में थाना हाजा में जब्तशुदा वाहन पीकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 01 जीडी 6800 प्रकरण में गिरफतारशुदा अभिराज गजराजसिंह रावत से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ करते हुए जब्त हुई है पीकअप गजराजसिंह रावत के कब्जे होने के सम्बन्ध में वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष है। जब तक वाहन के संबंध में अनुसंधान नही हो जाता तब तक वाहन पीकअप रजि.नं. आरजे 01 जीडी 6800 को रिलिज नहीं किया जाने का निवेदन किया गया है।

बहस अन्तिम उभयपक्ष सूनी गई उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन सें ज्ञात आया कि दिनांक 13.11.2025 को पुलिस थाना धमोत्तर जिला प्रतापगढ़ द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान प्रकरण में विवादित विचाराधीन वाहन संख्या **RJ 01 GD 6800** का उपयोग बिना अनुज्ञप्ति के परिवहन एवं विनिमय से निषिद्ध सामग्री (पेट्रोल एवं डीजल) का अवैधानिक तरीके से जब्तशुदा वाहन के जरिये परिवहन किया जाना संज्ञापित हुआ है। जिसके संदर्भ में एक प्राथमिकी संख्या 0150/2025 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् पुलिस थाना धमोत्तर जिला प्रतापगढ़ में दर्ज रिकार्ड होकर जैरे कार्यवाही है तथा इसी क्रम में

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 (A) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थी/पेरोकार जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तावित करते हुए जब्तशुदा सामग्री (पेट्रोल एवं डीजल) के साथ उक्त सामग्री के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन संख्या **RJ 01 GD 6800** को राजसात करने की मांग की गई है।

प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी संख्या 0150/2025 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 6(A) आवश्यक वस्तु अधिनियम की संपुष्टि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा पुलिस थाना धमोत्तर से वाहन सिपुदर्गी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2026 के अनुसार उक्त जब्तशुदा वाहन स्वामी से अनुसंधान शेष होने के आधार पर अनुसंधान के शेष रहते वाहन रिलीज नहीं करने का निवेदन किया गया है तथा प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज अनुसार की गई कार्यवाही दिनांक 13.11.2025 के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये मुख्त्यार आम दिनांक 14.01.2026 के आधार पर मुल वाहन स्वामी के अतिरिक्त अन्य मुख्त्यार ग्रहीता प्रार्थी (श्री शिवराज रावत) द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा वाहन के बीमीत होने संबंधी संबंधी रिकार्ड दस्तावेज भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय प्रकरण पर प्रत्यक्षतः एवं समयक् रूप से प्रभावी लागु होना दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाहन सिपुदर्गी प्रकरण में संचालित कार्यवाही/अनुसंधान को बाधित करने तथा प्रकरण में प्रस्तावित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विहित प्रावधानों के तहत् उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 503 **BNSS** संपुष्ट नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़